परिपत्र सं. 08/2024

फा.सं. 275/4/2024-आईटी(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 05 अगस्त, 2024

विषय : पैन और आधार को लिंक करने से पूर्व डिडक्टी/कलेक्टी की मृत्यु की स्थिति में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206कक/206गग के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस/टीसीएस की उच्चतर दर की गैर-प्रयोज्यता के संबंध में।

परिपत्र संख्या 06/2024 दिनांक 23.04.2024 के अनुसार, बोर्ड ने करदाताओं को दिनांक 31.03.2024 तक किए गए लेन-देन के लिए पैन और आधार को लिंक करने के लिए दिनांक 31.05.2024 तक का अवसर प्रदान किया था, ताकि आयकर अधिनियम की धारा 206कक/206गग के तहत कर की उच्चतर कटौती/संग्रहण से बचा जा सके, जैसा भी मामला हो।

2. करदाताओं से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें उन्होंने पैन और आधार को लिंक करने के विकल्प का उपयोग किए जाने से पूर्व उक्त अवधि (यानी दिनांक 31.05.2024 को या उससे पहले) के दौरान डिडक्टी/कलेक्टी की मृत्यु के उदाहरणों का हवाला दिया है। ऐसे मामलों में, मृतक व्यक्ति के पैन और आधार को लिंक करने में विफलता के परिणामस्वरूप डिडक्टी/कलेक्टी के खिलाफ कर की मांगे कायम है।

3. करदाताओं की ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए, बोर्ड एतद्वारा निर्दिष्ट करता है कि ऐसे मामलों के संबंध में जहां दिनांक 31.03.2024 तक किए गए लेन-देन से संबंधित अधिनियम की धारा 206कक/206गग के तहत टीडीएस/टीसीएस की उच्चतार दर लागू की गई थी और दिनांक 31.05.2024 को या उससे पूर्व यानी पैन और आधार को लिंक किए जाने से पहले डिडक्टी/कलेक्टी की मृत्यु हो जाती है, तो डिडक्टी/कलेक्टी पर धारा 206कक/206गग के तहत कर काटने/संग्रह करने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी, जैसा भी मामला हो। अधिनियम के अध्याय XVII-ख या अध्याय XVII-खख के अन्य प्रावधानों में आधीदेशित अनुसार कटौती/संग्रहण लागू होगा।

सुरजीत
05.08.24

(सुरजीत कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23095478

प्रति :-

1. वित्त मंत्री के निजी सचिव/वित्त मंत्री के ओएसडी/राज्य मंत्री (राजस्व) के निजी सचिव/राज्य मंत्री (राजस्व) के ओएसडी
2. सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव

3. अध्यक्ष, के.प्र.क.बो एवं सभी सदस्य, के.प्र.क.बो
4. सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान महानिदेशक आयकर/महानिदेशक आयकर
5. सभी संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, के.प्र.क.बो
6. प्रधान आयकर आयुक्त (मीडिया एवं टीपी) तथा सरकारी प्रवक्ता, के.प्र.क.बो, नई दिल्ली
7. प्रधान आयकर आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस)
8. अपर महानिदेशक (पीआर, पी एवं पी) को आवश्यक कार्रवाई हेतु
9. संयुक्त आयकर आयुक्त, डेटाबेस प्रकोष्ठ को इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश को वेबसाइट www.irsofficersonline.gov.in पर अपलोड कर दिया जाए
10. वेब प्रबंधक, आयकर महानिदेशालय (प्रणाली) का कार्यालय को इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश को वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर अपलोड कर दिया जाए
11. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली
12. सभी वाणिज्य मंडल
13. गॉर्ड फाइल

सुरजीत

(सुरजीत कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार